वर्ष 2018–19 सीजन में तेन्दू पत्ता भण्डारण हेतु गोदाम किराये पर लेने हेतु निविदा की शर्तेः–

1– वर्ष 2018–19 सीजन में वाराणसी विक्रय इकाई में संग्रहित की जाने वाली तेन्दूपत्ता के भण्डारण हेतु किराये पर गोदाम लेने के लिए ऑनलाईन निविदा दिनांक 04.04.2018 को अपरान्ह 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 05.04.2018 को अपरान्ह 4:00 बजे से **अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी** द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

2– अलग–अलग गोदाम के लिए अलग–अलग निविदा निर्धारित फार्म पर दी जायेगी, निविदा से सम्बधित फार्म नियम व शर्तो को रू0 150.00 का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है।

3– सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

4– प्रत्येक निविदा के साथ गोदाम के प्रस्तावित किराया के अनुसार बन्धक धनराशि के रूप मे प्रस्तावित किराया का 15000 दर से आंगणित धनराशि का बैक ड्राफ्ट जो विक्रय अधिकारी के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैक का बना हो तथा वाराणसी पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना बन्धक धनराशि के प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

5– (अ)– निविदा फार्म में गोदाम की लम्बाई, चौड़ाई व ऊचाई दर्शित किया जाय।

(ब)– क्षे0प्र0 उ0प्र0 वन निगम, इलाहाबाद के कार्यालय की पत्र सं0–4071 दिनांक 2007/दिनांक 30.3. 2007 के अनुसार गोदामों में किये गये वास्तविक भण्डारण के आधार पर गत वर्ष की भाति प्रति मानक वोरा किराया देय होगा तथा टेण्डर में गोदाम किराया प्रति मानक बोरा अंकित करना होगा।

6– निविदा निर्धारित प्रपत्र में दी जायेगी, जिसमे सभी स्तम्भ सही–सही एवं पूर्ण रूप से भरे जायेगे। अपूर्ण या गलत सूचना भरे जाने की दशा में निविदा निरस्त की जा सकती है। गोदाम के बारे में दिये गये तथ्यों की जॉच हेतु विक्रय अधिकारी की पूर्ण अधिकार होगा।

7– सम्पूर्ण गोदाम परिसर व एप्रोच मार्ग पूर्णतया वन निगम के नियंत्रण में होगा निविदादाता के गोदाम की दशा अच्छी होनी अनिवार्य है, अर्थात गोदाम की दीवाल पक्की हो, छत टपकता न हो, गोदाम में पर्याप्त वेन्टीलेशन की व्यवस्था हो तथा गोदाम के परिसर में पानी का अभाव आदि न हो।

8– गोदाम के अन्दर यदि बिजली की व्यवस्था है तो उसकी वायरिंग सही होनी अनिवार्य है। गोदाम भवन का बीमा गोदाम मालिक को अपने व्यय पर करवाना होगा। ऐसा न करने पर कोई दुर्धटना होने पर गोदाम की कोई क्षति होती है तो उसके लिए वन निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

9– सभी गोदामों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा नामित समिति के निरीक्षण के उपरान्त ही निर्णय किया जायेगा।

10– यदि गोदाम की किसी कमी जैसे छत टपकने तथा दीवाल एंव फर्श पर सीलन आने आदि के कारण भण्डारित तेन्दू पत्तों की किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो गोदाम अधिकारी द्वारा इसका सूचना देने पर गोदाम की मरम्मत तुरन्त गोदाम मालिक को करनी होगी। यदि गोदाम मालिक द्वारा तुरन्त मरम्मत नही करायी जाती है तो ते0प0 की सुरक्षा हेतु तुरन्त गोदाम की मरम्मत वन निगम द्वारा करा ली जायेगी तथा व्यय की गयी धनराशि एंव क्षति के मूल्य की वसूली गोदाम मालिक को दिये जाने वाले किराये व अन्य जमा धनराशि से कर ली जायेगी।

11– यदि गोदाम मालिक या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के फलस्वरूप भण्डारित तेन्दू पत्ता की बिक्री में व्यवधान या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो बिना कोई सूचना दिये गोदाम छोड़ने का पूर्ण अधिकार वन निगम को होगा। इसके लिए कोई धनराशि देय नही होगी तथा क्षति की वसूली गोदाम मालिक को दिये जाने वाले किराये व अन्य जमा धनराशि से कर ली जायेगी। इस प्रकार की क्षति के लिए बिक्रय अधिकारी, वाराणसी द्वारा आंकलित की गयी धनराशि गोदाम मालिक को मान्य होगी।

12– निविदा दर 01.05.2018 से 30.04.2019 तक की अवधि के लिए होगी। यदि किसी कारणवश गोदाम अनुबन्ध अवधि में ते0प0 की निकासी नही हो सकी तो अनुबन्ध को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी दशा में अतिरिक्त भण्डारण अवधि के लिए किराया भुगतान स्वीकृत दर की 1/12 प्रति माह की दर से किया जायेगा। किसी भी समय गोदाम एक माह की पूर्व नोटिस देकर छोडा जा सकता है। इस दशा में भी गोदाम किराया वास्तविक भण्डारण अवधि के लिए ही देय होगा।

13–आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम निविदा को स्वीकार ही किया जाय बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार बिक्रय अधिकारी का होगा।

14– निविदादाताओं को निविदा स्वीकृति की सूचना विक्रय अधिकारी द्वारा कार्यालय से रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दी जायेगी तथा निविदा स्वीकृति की सूचना जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर विक्रय अधिकारी के साथ गोदाम मालिक को वार्षिक किराया की 10**%** धनराशि जमानत के रूप में जमा करके अनुबन्ध करना होगा। जमानत जमा होने के बाद धरोहर की धनराशि वापस कर दी जायेगी। गोदाम किराये के भुगतान के सम्बन्ध में विक्रय अधिकारी द्वारा बनाये गये नियमों जिनका उल्लेख अनुबन्ध पत्र में कर दिया जायेगा, की निविदा दाता को मानना होगा।

15– उपरोक्त शर्तो के पालन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की दशा में क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 वन निगम, इलाहाबाद मध्यस्थ (आर्बीटेटर) होगे। जिनका निर्णय अन्तिम व उभय पक्षों को मान्य होगा।

उ0प्र0 वन निगम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Awadhesh Prakash Srivastava
Date: 2018.03.27 17:15:40 IST
Location: Uttar Pradesh